मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली, 1957

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों को "मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली, 1957" कहा जाए.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो:—

(क) "सभा" से आशय मध्यप्रदेश विधान सभा से है.

(ख) "अध्यक्ष" से आशय नियम 3 के अंतर्गत नियुक्त परिषद् के अध्यक्ष से है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, जो उस समय के लिये अध्यक्ष का कार्य सम्पादित करे.

(ग) "परिषद्" से आशय नियम 3 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिये गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद् से है.

(घ) "राज्यपाल" के आशय मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है.

(ङ) "सदस्य" से आशय परिषद् के सदस्य से है, और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है.

(च) "प्रस्ताव" से आशय परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये मामले के विवरण से है और इसमें किसी प्रस्ताव का यथा रीति प्रस्तावित और स्वीकृत संशोधन शामिल है.

(छ) "अनुसूचित" "आदिम जाति" से आशय ऐसी आदिम जातियों या आदिम जाति समुदाय से है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित आदिम जातियां माना गया है.

(ज) "सचिव" से आशय परिषद् के सचिव से है और इसमें संयुक्त सचिव या उपसचिव शामिल होंगे.

3. परिषद् की रचना.—(1) मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् में आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रभारी मंत्री सहित 20 सदस्य रहेंगे, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे और उनमें से 15 सदस्य विधान सभा में अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों में से होंगे, मुख्यमंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे.

(2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे.

(3) सदस्यों के नाम राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे.

4. पदावधि.—(1) नियम 5 और 6 के उपबंधों के अधीन, विधान सभा में अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों में से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे. जब कि अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा उतनी अवधि के लिये जितनी कि राज्यपाल निर्धारित करें, परिषद् के सदस्य रहेंगे.

(2) उपनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का सदस्य उस समय तक उसका सदस्य रह सकेगा, जब तक कि किसी नये सदस्य का मनोनयन राज्य के राजपत्र में अधिसूचित न किये जायें.

5. सदस्यों का त्यागपत्र.—अध्यक्ष को छोड़, अन्य कोई भी सदस्य अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकृत कर लिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

6. स्थान रिक्त.—यदि अध्यक्ष के सिवाय अन्य कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो परिषद् उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है.

7. रिक्त स्थानों की पूर्ति.—यदि परिषद् के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाये तो उसे नियम 3 में उपबंधित रीति से भरा जायेगा.

8. परिषद् की बैठकें.—(1) परिषद् की बैठकें प्रति छः माह में साधारणतया एक बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर और तारीख को होगी.

(2) अध्यक्ष, जब भी, वह उचित समझे और परिषद् कम से कम पांच सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर, परिषद् की एक विशेष बैठक बुला सकेगा. सदस्यों द्वारा मांग की जाने पर बुलाई जाने वाली विशेष बैठक मांग पत्र के मिलने के 20 दिन के भीतर बुलाई जायेगी.

(3) परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सामान्य बैठक के लिये कम से कम पूरे दस दिन की तथा विशेष बैठक के लिये कम से कम पूरे पांच दिन की सूचना दी जाएगी. इस सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय तथा उसमें किये जाने वाले कार्य का उल्लेख रहेगा, और यदि बैठक मांग की जाने पर बुलाई जाने वाली हो तो उस मांग पत्र से उस बैठक को बुलाये जाने के कारण दिये जायेंगे.

9. बैठक का अध्यक्ष.—(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, यदि वह उपस्थित रहा तो करेगा.

(2) यदि अध्यक्ष परिषद् की किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो सदस्यगण अपने में से किसी को उस बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे.

10. गणपूर्ति.—(1) परिषद् की बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पांच सदस्य (बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति सहित) उस बैठक में सारे समय उपस्थित न रहें.

(2) यदि किसी बैठक में किसी भी समय गणपूर्ति के लिये पर्याप्त सदस्य उपस्थित न रहे, तो बैठक का अध्यक्ष उसे उस समय या तारीख के लिये स्थगित कर देगा, जैसा वह उचित समझे और उसकी घोषणा तत्काल कर देगा तथा उस बैठक के लिये निर्धारित कार्य आगे के लिये स्थगित की गई उस बैठक में सामान्य तरीके से सम्पादित किया जायेगा. ऐसी स्थगित की गई उस बैठक में उपस्थित सदस्य, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो उस बैठक की गणपूर्ति करेंगे.

(3) प्रारंभिक बैठक के लिये निर्धारित कार्य को छोड़, अन्य कोई भी कार्य, ऐसी स्थगित बैठक में सम्पादित नहीं किया जायेगा.

11. सचिव के कर्तव्य.—सचिव बैठक के लिये निर्धारित काम-काज के प्रत्येक विषय की जांच करेगा और उस पर अपना मत, यदि कोई हो, तो देगा, प्रत्येक मद के संबंध में दिया गया, उसका मत बैठक में उस मद को विचारार्थ लेने के पहिले, परिषद् के समस्त सदस्यों में सूचनार्थ प्रसारित किया जायेगा.

12. कार्य संचालन.—(1) बैठक की कार्यवाही में राज्य की अनुसूचित आदिम जाति के कल्याण और उन्नति के संबंधित ऐसे मामले शामिल रहेंगे जो परिषद् के समक्ष परामर्श के लिये राज्यपाल द्वारा भेजे जायें.

(2) बैठक बुलाने के लिये दी गई सूचना में जब तक किसी कार्यवाही और प्रस्ताव का उल्लेख न होगा, तब तक किसी भी बैठक में न तो कोई कार्य सम्पादित किया जायेगा न कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और न ही उस पर कोई चर्चा की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी बैठक में ऐसा कोई कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दे सकेगा, जो उसकी राय में आवश्यक स्वरूप का हो और जिसका उल्लेख, उचित कारणवश, उस बैठक की सूचना में न किया जा सका हो.

(3) बैठक में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित क्रम से कार्य सम्पादित किया जायेगा, परन्तु यदि कोई सदस्य कार्य के किसी विशेष मद को प्राथम्य देना, प्रस्तावित करें, तो अध्यक्ष उस प्राथम्य प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करेगा और उस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गये मतों के बहुमत के आधार पर उस क्रम का निर्णय करेगा.

(4) परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किसी भी विषय पर परिषद् की मंत्रणा बहुमत द्वारा निश्चित की जायेगी, परन्तु बराबर-बराबर मत आने पर बैठक का अध्यक्ष वांछनीय और निर्णायक मत देगा.

(5) राज्यपाल द्वारा भेजे गये मामलों पर परिषद् के निर्णय और उसकी राय सिफारिशों के रूप में होंगे, लेकिन कोई भी सदस्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी भी सिफारिश के संबंध में 24 घंटे के भीतर एक असहमति टिप्पणी (प्रिनेन्ट ऑफ डिसेन्ट) प्रस्तुत कर सकेगा और उस टिप्पणी को बैठक की कार्यवाही में शामिल किया जायेगा तथा उसे बैठक की कार्यवाही का ही अंग माना जायेगा.

(6) परिषद् की बैठकों में बाहरी व्यक्ति शामिल न हो सकेंगे.

13. वाद-विवाद परिसीमा.—परिषद् की कार्यवाही, यथासंभव, उसी प्रकार चलाई जावेगी, जिस प्रकार कि विधान सभा की कार्यवाही चलाई जाती है, कोई भी सदस्य अपने भाषण के दौरान में—

(क) ऐसे किसी भी विषय या तथ्य का उल्लेख नहीं करेगा जिस पर न्यायिक निर्णय दिया जाने वाला हो.

(ख) परिषद् तथा विधान सभा अथवा राज्य सभा अथवा लोक सभा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत अनुचित लांछन नहीं लगाएगा.

(ग) रोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेगा.

(घ) भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा संघ का राज्य के किसी मंत्री अथवा न्यायिक कार्य करते समय किसी न्यायालय के आचरण पर कटाक्ष नहीं करेगा.

(ङ) राजद्रोहात्मक अथवा मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा.

(च) परिषद् की कार्यवाही में जानबूझकर और लगातार बाधा डालने की दृष्टि में अपने भाषण के अधिकार को उपयोग नहीं करेगा.

14. **अध्यक्ष की शक्तियां.**—नियम 12 के उपनियम (6) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष, परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् की बैठकों में अभिभाषण करने या उनमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा.

15. **रिक्त स्थान का कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.**—परिषद् में कोई खाली स्थान रहने अथवा सदस्यों के मनोनयन में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाने के आधार पर परिषद् की कार्यवाहियों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी.

16. **यात्रा भत्ता.**—(1) परिषद् के सदस्य मूलभूत नियमावली, ग्रंथ दो के परिशिष्ट-5 के अनुपूरक नियम 136 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अथवा किसी सदस्य विशेष के बारे में लागू होने वाले ऐसे अन्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे.

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य ने किसी अन्य हैसियत से किसी यात्रा के लिए सरकारी खजाने से यात्रा भत्ता प्राप्त किया हो, तो वह उक्त उपनियम के अंतर्गत यात्रा भत्ता नहीं प्राप्त कर सकेगा.

17. **विविध.**—परिषद् द्वारा पारित सभी संकल्प, असहमति टिप्पणी सहित, यदि कोई हो तो तथा परिषद् के अन्य किसी पत्रादि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परिषद् के सचिव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजे जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(म. सुन्दरम्)
संयुक्त सचिव.